कार्यालय, उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्रमांक :–उनिमाशि / भरत / माध्य / संस्था–1 / फा–नि0व0अ0 / भ.व.2016 / 18–19 / 329 दि0 26 –09–18

पदस्थापन परामर्श सूचना(Counselling for Posting information)

RPSC वरिष्ठ अध्यापक (विषय हिन्दी / संस्कृत) भर्ती परीक्षा 2016 से चयनित अभ्यर्थी

राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृखला वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत / हिन्दी) प्रतियोगी परीक्षा 2016 से चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान –बीकानेर के पत्रांक शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102 / सी0भ0 / व0अ0संस्कृत / हिन्दी / 2016 / दिनांक 25–09–2018 द्वारा भरतपुर मण्डल आवंटित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक प. 17(7)शिक्षा–2 / 2016 जयपुर दिनांक 04–03–2018 के अनुसरण में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी / संस्कृत) के पदस्थापन हेतु निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाएगा :–

परामर्श कैम्प स्थल :– जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) भरतपुर

विषय	दिनांक **एंव समय**	
वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी	दिनांक 27–09–2018 प्रातः 8.00 बजे	1 से 172 तक
वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	दिनांक 27–09–2018 प्रातः 11.00 बजे	1 से 353 तक

कैम्प के लिए पंजीयन का समय हिन्दी विषय हेतु प्रातः 08:00 से 9.00 बजे तक एंव संस्कृत विषय हेतु प्रातः11.00 बजे से 12.00 बजे तक रहेगा। विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउन्सलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा। सम्बन्धित कार्मिक अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श तिथि /समय पर कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची विभागीय वेबसाईट **rajrmsa.nic.in** पर संलग्न कर प्रदर्शित है।

क्रम संख्या	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र / अभ्यावेदन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र
2	विधवा एवं परित्यकता महिला अभ्यर्थी	आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र के साथ ➢ विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ➢ परित्यकता की स्थिति में सक्षम न्यायालय की डिक्री

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को वरीयता निर्धारण में संशोधन / आपत्ति हो तो वह काउन्सलिंग दिवस को ही हिन्दी विषय हेतु प्रातः 08:30 बजे तक एंव संस्कृत विषय हेतु प्रातः 11.30 बजे तक परामर्श कैम्प स्थल पर सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी परामर्श कैम्प में निम्न दस्तावेज (मूल एवं छायाप्रति) अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हो।

1. फोटो पहचान पत्र (आई.डी.)
2. मूल आवेदन के साथ संलग्न किए गए समस्त (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज)

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउन्सलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। सम्बन्धित अभ्यर्थी यह सुनिशिचित कर लें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित **मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर** काउन्सलिंग में उपस्थित हो।

(मनमोहन शर्मा)
उप निदेशक,(माध्यमिक शिक्षा),
भरतपुर संभाग, भरतपुर

Deputy Director (Secondary Education) Bharatpur
Near Central School, DIET Building, BHARATPUR (Rajasthan) E-Mail : ddsecbpr@yahoo.in
Phone No. 05644 - 223474